न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2017/00005

अपील संख्या - 52/17

1. सीताराम
2. रामकिशोर
3. सन्तोष
4. मुरारी पुत्रान जग्गा
5. राजेश पुत्र सीताराम
6. मेम पत्नि सीताराम
7. श्यामा पत्नि संतोष
8. कृष्णा पत्नि रामकिशोर
9. रेखा उर्फ गुडडी पत्नि राजेश
10. पप्पी पत्नि मुरारी समस्त जातियान जाट निवासीयान बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रमेश चंद पुत्र मोतीलाल जाति नायक निवासी नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा हालवासी बहवरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/17 निर्णय दिनांक 8.6.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रमेश चंद गोयल

दिनांक 12.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 8.6.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 1396/38 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम बहरावण्डा कलां मे स्थित है। जो नामान्तरकरण संख्या 2629 दिनांक 20.12.13 को जरिये विकय पत्र द्वारा कय की थी। उक्त आराजी को निरन्तर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण/अपीलांट का इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। लेकिन वे बिना किसी रेवेन्यू रिकार्ड मे नाम नही होने पर भी कब्जा करना चाहते है जिनका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने उक्त भूमि कय की तभी से कब्जा काश्त है। दिनांक 5.5.17 को अप्रार्थीगण/अपीलांट [illegible] व राजेश विवादित आराजीयात पर आये एवं कहा कि तुम्हारे इस खेत को हम [illegible] बरना हम इस खेत पर कब्जा करेगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते है [illegible] के बल पर प्रार्थी की खातेदारी पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण आराजीयात की [illegible] बनाने हेतु पत्थर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

लगे तो अप्रार्थीगण/अपीलांट ने मना कर दिया तथा झगडा करने पर आमादा हो गये। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात बाबत किसी प्रकार की कोई दखल मजाहमत पैदा नही करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा यथावत बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति किस पक्षकार के पक्ष मे है अंकन नही किया। अपीलांट को जबाब पेश करने का अवसर नही दिया गया। पत्रावली केम्प बहरावण्डा कलां मे ले जाकर विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजीयात से रेस्पो0 न0 1 का कोई संबंध वास्ता नही है शुरू से ही उक्त भूमि अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि रही है। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रस्तावित प्रोसेस की पालना नही की गई है ना ही सम्पूर्ण तलबी अपीलांटान की कराई गई है। न्याय आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत उभयपक्षो की सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। बिना सहमति के इस प्रकार से केम्प मे निर्णय पारित किया जाना न्याय नही अन्याय की श्रेणी मे आता है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के ऑपरेटिव पोरसन से स्पष्ट है कि यह आपस मे विराधाभासी है एक तरफ तो सायल की टी. आई. कन्फर्म की गई है दुसरी और मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हे। मौके पर अपीलांट के 20–25 ट्रोल पत्थर पडे हुए है । मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.8.16 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। उसके द्वारा फसल काश्त की गई है। उक्त आराजीयात को लेकर अपील संख्या 272/14 न्यायालय ए.सी. एम. सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.6.16 से अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा कलां के आदेश दिनांक 3.9.10 की पालना मे दिनांक 27.9.10 को आराजी ख0न0 38/1/1 की तरमीम विधि के विपरीत मौका स्थिति के अनुरूप नही होने से निरस्त की गई है तो सायल द्वारा कय की गई आराजी पर सायल का कब्जा किस प्रकार हो सकता है। सरपंच ग्राम पंचायत बहरावण्डा कलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 27.7.16 मे सायल का उक्त आराजी पर कब्जा नही बताया है। अपीलांट का कब्जा सिद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 1396/38 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम बहरावण्डा कलां मे स्थित है। जो नामान्तरकरण संख्या 2629 दिनांक 20.12.13 को जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी। उक्त आराजी को निरन्तर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। अपीलांट का इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। लेकिन वे बिना किसी रेवेन्यू रिकार्ड मे नाम नही होने पर भी कब्जा करना चाहते है जिनका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त भूमि क्रय की तभी से कब्जा काश्त है। अपीलांट का यह कथन की विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त है मनगढन्त एवं झूठा है क्योकि विवादित आराजीयात पर रेस्पो0का सदभावी केता होने की दिनांक से कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी,खसरा गिरदावरी का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होने के कारण ही अपीलांट/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द विधि के अनुरूप किया गया है। अपीलांट द्वारा भूमि पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश ना तो अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किये है ना ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किये है जिससे उसका कब्जा सिद्व हो सके। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा मुन्नी हरिजन से क्रय की गई है जिसका नामा0संख्या 2529 दिनांक 20.12.13 को स्वीकार होने से खातेदारी रेस्पो/प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल हुआ है। इस प्रकार रेस्पो/प्रार्थी एक सदभावी केता है। पत्रावली मे शामिल खसरा गिरदावरी सम्वत 2065–68 एवं 2070–73 के अनुसार मुन्नी हरिजन का उक्त आराजी पर कब्जा सिद्व है। विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार वाद पत्र मे तय किये जाने शेष है। अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा हो इसका भी कोई प्रंमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं अपूर्णनीय क्षति के मद्देनजर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के मुकदमा न0 14/17 मे पारित निर्णय दिनांक 8.6.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner